दिनांक 27.12.2023 को आयोजित दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की छठी बैठक का कार्यवृत्त।

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में है।

2. दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की छठी बैठक राष्ट्रगान के साथ प्रारम्भ हुई, तदुपरांत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केन्द्र मंत्री और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, डॉ. वीरेंद्र कुमार का स्वागत किया। उन्होंने गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रियों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी सदस्यों सहित बोर्ड के अन्य सदस्यों का भी स्वागत किया।

4. अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, सचिव ने दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास के लिए समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्रों में पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ओडिशा राज्य की चालू प्रयासों पर, विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रारंभिक हस्तक्षेप के विषय पर, विस्तार से चर्चा की। सचिव ने दिव्यांगता पेंशन योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार सहित विषयों के एक संपूर्ण श्रृंखला को शामिल करते हुए व्यापक चर्चाओं की प्रत्याशा पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने बोर्ड के सदस्यों से उद्यमिता, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम, और उनके लिए रोजगार के अवसरों को समझने और इससे संबंधित व्यावहारिक चर्चाओं में शामिल होने की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। पर्यटन, मनोरंजन, धार्मिक पर्यटन और खेल जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिन्हें मुख्यधारा संबंधी चर्चाओं और कार्रवाई में शामिल करने की आवश्यकता है। संयोगवश बोर्ड की बैठक में गोवा के मंत्री की उपस्थिति को देखते हुए गोवा में होने वाले आगामी पर्पल फेस्ट का विशेष संदर्भ दिया गया। सचिव ने इस तरह के आयोजनों में दिव्यांगजनों द्वारा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करने में उनकी क्षमता को जांचने, साथ ही

दिव्यांगजनों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

5. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे माननीय मंत्रियों का स्वागत किया और विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उनकी समर्पित प्रयासों की सराहना की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रेरणा को बढ़ावा देने में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों की भूमिका और विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने पर प्रकाश डाला, जो अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में समान पहलों को सीखने और लागू करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री का विजन - "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास" के दूरंदेशी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 2047 के लिए विजन पर चर्चा की, जिसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, सामाजिक सेवाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए यथार्थ प्रयासों की अनिवार्य आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो बदले में, देश के आशाजनक भविष्य में योगदान देगा। इस बात पर और प्रकाश डालते हुए उन्होंने सशक्तिकरण को साकार करने की दिशा में अवसर प्रदान करने वाले रोजगार के अवसरों के महत्व पर विचार-विमर्श किया, जो मंत्री ने जोर देकर कहा कि "कर्मवीर" दिव्यांगजन न केवल राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्वयं और उनके परिवारों का भी सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्यों को "पहुंच के रास्ते" का उल्लेख करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में अपने प्रयासों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक के महत्व को रेखांकित करते हुए, माननीय मंत्री ने सभी हितधारकों को एक साथ लाने पर जोर दिया ताकि वे उन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें जिन्हें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों में दोहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते दिव्यांगजन आत्मनिर्भर भारत @2047 की दिशा में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसके अलावा, एचएमएसजेई ने उन प्रमुख चिंताओं को उजागर

करते हुए बैठक का माहौल बनाया, जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार हैं;

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) के सभी प्रावधानों पर सभी हितधारकों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/मंत्रालयों आदि द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
- इस अधिनियम के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के भीतर भवनों की रेट्रोफिटिंग कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने के बावजूद विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त असंतोषजनक कार्य रिपोर्ट।
- यूडीआईडी कार्ड तैयार करने में तेजी लाने की जरूरत है; अब तक 1 करोड़ से अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिए।
- डीडीआरएस/डीडीआरसी योजना आदि के लाभों का दावा करने में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज असंतोषजनक कार्य-निष्पादन।

6. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की चर्चा हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को रखा गया था:-

i. 24.06.2022 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि और इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान।

iii. 2021 की डब्ल्यूपी 29329 सीमा गिरिजा लाल बनाम भारत संघ।

iv. 2016 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 412 से उत्पन्न 2018 की अवमानना याचिका संख्या 1653 - श्री गौरव बंसल बनाम श्री दिनेश कुमार और अन्य।

v. क्षेत्र विशिष्ट सुगम्यता मानकों की अधिसूचना सहित सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की स्थिति।

vi. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए यूडीआईडी को जोड़ने के साथ यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति।

vii. विभाग की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा।

viii. विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों की समीक्षा।

ix. दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण के लिए वार्षिक आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 'पर्पल फेस्ट' का आयोजन।

x. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई पहल।

xi. आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियम, 2019 के संदर्भ में ऐसी जरूरतों वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को उच्च सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित करना।

xii. ऐसे दिव्यांगजनों के मामले में आधार कार्ड के लिए 'बायोमेट्रिक अपवाद' के प्रावधान का उपयोग करना जो अपनी उंगलियों के निशान प्रदान करने में असमर्थ हैं।

7. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजेश यादव ने केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के विचार-विमर्श के लिए उपर्युक्त प्रत्येक कार्यसूची बिन्दुओं पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की एक प्रति **अनुबंध-II** में संलग्न है।

8. बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का सार निम्नानुसार है:

i. **श्री अशोक चंद्र पांडा, माननीय सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री, ओडिशा**

श्री अशोक चंद्र पांडा, माननीय मंत्री ने कार्यसूची मदों के अनुरूप ओडिशा राज्य द्वारा किए गए सक्रिय उपायों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए अपने राज्य संस्थान के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें दी जाने वाली सेवाओं की सरणी का विवरण दिया गया। विशेष रूप से, ओडिशा में वर्तमान में 08 जिला दिव्यांगता पुनर्वास

केंद्र (डीडीआरसी) हैं और राज्य में अतिरिक्त डीडीआरसी स्थापित करने के लिए तत्परता व्यक्त की है।

भुवनेश्वर में आयोजित उल्लेखनीय पर्पल फेस्ट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, माननीय मंत्री ने समावेशी और आकर्षक कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य के समर्पण पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता पेंशन के प्रभावी वितरण पर प्रकाश डाला, जिससे पहुंच और समर्थन सुनिश्चित हुआ।

बोर्ड को दिए गए एक अनुरोध में, माननीय मंत्री ने इस तरह की पहलों से समुदाय के कल्याण और समावेशन पर हो सकने वाले परिवर्तनात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए ओडिशा में दिव्यांगजनों के लिए खेल अवसरों में वृद्धि की मांग की ।

ii. **श्री सुभाष फल देसाई, माननीय राज्य कल्याण मंत्री, गोवा।**

दिव्यांगजनों को सुविधाएं प्रदान करने में एक अग्रणी राज्य होने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, माननीय राज्य कल्याण मंत्री, गोवा ने इस संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन किया। माननीय मंत्री ने गोवा में 8 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली आगामी पर्पल फेस्ट के बारे में उत्साह व्यक्त किया और इस आयोजन की समावेशी और जीवंत प्रकृति पर प्रकाश डाला।

गोवा के माननीय मंत्री ने डॉक्टरों की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सहायता, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) आदि का लाभ उठाने में कठिनाई जैसी बाधाओं पर चिंता व्यक्त की।

इसके अलावा, माननीय मंत्री ने सीएबी से रोजगार क्षेत्र में उपलब्ध कौशल सेट के आधार पर दिव्यांगजनों के मिलान के विचार का पता लगाने का अनुरोध किया। आगे यह भी अनुरोध किया कि टेलीविजन नेटवर्क पर दिव्यांगजनों के लिए समर्पित प्रसारण चैनल शुरु करने के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता लाई जा सकती है।

iii. **डॉ. एम. मथिवेंथन, माननीय वन मंत्री, तमिलनाडु**

माननीय मंत्री ने 1993 में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक समर्पित निदेशालय की स्थापना पर प्रकाश डाला, जो समावेशी नीतियों के लिए राज्य की दीर्घकालिक

प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। 10 करोड़ रुपये के राज्य निधि बजट के साथ, तमिलनाडु ने विभिन्न पहलों को लागू किया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष अदालतें और लगभग 2.3 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 2000/- रुपये का मासिक प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, 1.5 लाख दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए 1,500 रुपये प्रति माह की दिव्यांगता पेंशन बढ़ा दी गई है।

राज्य ने सहायक उपकरणों की 23 श्रेणियों की पहचान की है और 11 लाख पंजीकृत दिव्यांगजनों के साथ एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। उल्लेखनीय पहलों में सरकारी बसों पर दिव्यांगजनों के लिए 100% यात्रा रियायत, प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्ति, तथा तमिलनाडु में महामारी और हाल ही में बाढ़ संकट के दौरान किराने की किट का वितरण शामिल है। मंत्री महोदय ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 'राइट्स' परियोजना की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

माननीय मंत्री ने बोर्ड से समर्थन का अनुरोध किया, मुख्य रूप से 17 सरकारी भवनों के लिए सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के तहत अनुदान की मांग की है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत शेष लाभार्थियों को शामिल करने, जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए निधि के आवंटन और दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत गैर सरकारी संगठनों को समय पर सहायता अनुदान जारी करना सुनिश्चित करने की अपील की गई। माननीय मंत्री ने लगातार अनुपलब्ध ई-अनुदान पोर्टल के कारण गैर-सरकारी संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे केंद्र सरकार से ऑफ़लाइन प्रस्तावों को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

iv. श्री नरेन्द्र कश्यप, माननीय राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, माननीय मंत्री ने बताया कि राज्य में दिव्यांगता पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अलावा, इस बोर्ड के ध्यान में यह लाया गया कि यह राज्य दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना को सुगम्य बनाने के उद्देश्य से तीन चरणों में सुगम्य भारत अभियान शुरू करने की प्रक्रिया में था। माननीय मंत्री ने

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य द्वारा किए गए अन्य उपायों के बारे में भी जानकारी दी, जिनमें दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड की कई बैठकें, दिव्यांगजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास योजना केंद्रों की स्थापना, राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में एक कृत्रिम अंग केंद्र, आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षा केंद्र, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं में विशेषज्ञता वाले दो उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन और दिव्यांगता पेंशन का प्रावधान है। मंत्री ने बोर्ड से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के प्रयास में तेजी लाने के लिए लंबित निधि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। इसके अलावा, राज्य ने गोवा सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे पर्पल फेस्ट के अनुरूप एक उत्सव की मेजबानी करने में अपनी रुचि दिखाई।

v. आरसीआई के अध्यक्ष ने पेशेवरों की खराब गुणवत्ता पर प्रकाश डाला, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संयुक्त प्रयास करने और इस क्षेत्र में अच्छे पेशेवरों की सेवाओं की खरीद में मदद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य बोर्ड में समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और दिव्यांगता सहित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए।

vi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव निम्नानुसार हैं:

- पर्पल फेस्टिवल के हिस्से के रूप में टैलेंट हंट इवेंट आयोजित किए जा सकते हैं।
- दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की खरीद और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जीईएमएस पोर्टल के अतिरिक्त ऑर्डर देने की अनुमति दी जा सकती है।
- यूडीआईडी को रेलवे रियायत पासों से जोड़ना ताकि पासों की बहुविध परतों और अनुमति से बचा जा सके।
- ग्रुप होम स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
- आयुष्मान भारत कार्ड को यूडीआईडी कार्ड से जोड़ा जा सकता है।

- एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के अलावा जांच की प्रक्रिया में चिकित्सा इंटर्न को शामिल करने के लिए पहल शुरू करके दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान में तेजी लाई जाए।
- मेघालय राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शुरू किए गए "मेगबिलिटी" ऐप के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को सूचित किया।
- इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि पुनर्वास पेशेवरों के लिए नौकरी के अवसरों को उनके अधिवास राज्यों के करीब प्राप्त होने में प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- सभी बच्चों के लिए शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में समावेशिता के विचार का परिचय।
- आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, दिव्यांगजनों की प्रतिभा को प्रभावी दृश्यता प्रदान करने के अतिरिक्त कौशल विकास के लिए प्रासंगिक भूमिका बाजार।
- प्रत्येक सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के पद का परिचय।
- राज्यों को प्रभावी आवश्यकता मूल्यांकन कार्य करने और कुशल पुनर्वास पेशेवर के लिए अपनी मांगें रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- भारत ने पड़ोसी देशों में 87,000 करोड़ रुपये के सहायक उपकरणों के लिए एक अप्रयुक्त बाजार का पता लगाया जा सकता है।
- वैश्विक मानकों के सहायक उपकरणों का उत्पादन करने के लिए प्रभावी नियामक प्रथाओं को शुरू करने की आवश्यकता।
- सहायक उपकरण उद्योग में उत्पादन, वितरण, रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (एमआरओ) प्रथाओं में भारत को वैश्विक अदाकार (ग्लोबल प्लेयर) के रूप में परियोजना के लिए नवाचार, उद्योग, अनुसंधान और वित्त पोषण की प्रभावशीलता।
- डीडीआरएस/सी स्टाफ का प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थानों में किया जाना चाहिए।

vii. **इसके अलावा, बोर्ड की बैठक के दौरान मनोनीत सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां/सुझाव दिए गए**:

- दिव्यांगजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों/स्लम में सुगम्य शौचालयों का निर्माण।
- संगठनों के बीच डीडीआरसी की स्थापना में विविधता लाना।
- निःशुल्क कोचिंग योजनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
- एनआई/सीआरसी के बारे में राज्य के अधिकारियों में जागरूकता की काफी कमी है।
- राष्ट्रीय न्यास योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाना।
- श्रवण बाधिता से ग्रस्त बच्चों की माताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें पुनर्वास पेशेवरों में परिवर्तित करना।
- नवजात शिशुओं में श्रवण की अनिवार्य जांच (सार्वभौमिक नवजात स्क्रीनिंग) का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यूडीआईडी कार्डों के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार-प्रसार की आवश्यकता।
- रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के लोगों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा का प्रावधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- रेलवे में दिव्यांगजनों के लिए शौचालयों की अनुचित और खराब स्थिति को दूर करने की तत्काल आवश्यकता।
- सीआरसी की प्रभावी मॉनीटरिंग स्थापित करने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों/एनजीओ आदि के बीच सहयोग का पता लगाया जाना चाहिए।
- तकनीकी उपकरणों के अधिक उपयोग और उसी के विकास का पता लगाने की आवश्यकता है।
- दिव्यांगता क्षेत्र के बारे में सामान्य जागरूकता सृजन करने हेतु छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए।
- दिव्यांग अनुकूल प्रौद्योगिकी में अनुसंधान की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के बारे में जागरूकता सृजन और उसे संवेदनशील बनाने के लिए बहुत काम किया जाना चाहिए तथा बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

- एक आवेदन आधारित कार्यक्रम विकसित करने के माध्यम से रोजगार के अवसर जो प्रोफाइल आधारित कौशल सेट और नौकरी मिलान (जॉब मैचिंग) को शामिल करते हैं।
- स्थानीय रूप से प्रासंगिक कौशल और संसाधनों के आधार पर आजीविका के अवसर का पता लगाया जाना चाहिए।
- ईएसआईसी प्रतिपूर्ति योजनाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
- आधार बायोमेट्रिक जिसमें आंखों और चेहरे की पहचान शामिल है, पर विचार किया जाना चाहिए।
- आईएएस दिव्यांगजनों को ब्रांड एंबेसडर और आइकन के रूप में नियुक्त करना ताकि अधिक दिव्यांगजनों को प्रेरित किया जा सके।
- दिव्यांगजनों के लिए छोटे पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए सीएसआर निधियन का पता लगाया जा सकता है जैसे कि ट्राइसाइकिल पर एक छोटा व्यवसाय आदि।
- दिव्यांगजनों के लिए बीमा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से जन्म के समय और एक अलग मंत्रालय की स्थापना का प्रस्ताव।
- दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना और स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करते हुए स्वरोजगार योजना लागू करना।

9. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की मदवार सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

कार्यसूची मद सं. 1 (क): 24.06.2022 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

24.06.2022 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान

प्रस्तुति में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:

i. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34, बैंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है।

ii. केंद्र सरकार ने 04.01.2021 को केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों (सीजीई) में 3566 उपयुक्त पदों को अधिसूचित किया।

iii. राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों (एसजीई) के संबंध में उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 का अनुपालन न करने से संबंधित कई शिकायतें सीजीई और एसजीई दोनों में हैं।

बोर्ड ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की कि:

क) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के आरक्षण प्रावधानों को अक्षरश: लागू करना।

ख) दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान का कार्य जल्द से जल्द पूरा करना, यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है; और

ग) विभिन्न संगठनों के राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना और उन्हें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के प्रावधानों के बारे में जागरूक करना और 04.01.2021 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूची के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना।

मद सं. 3: 2021 **का डब्ल्यूपी** 29329 **सीमा गिरिजा लाल बनाम भारत संघ**

सुश्री सीमा गिरिजा लाल द्वारा भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 29329 में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे 31 अगस्त 2023 तक आयुक्तों की नियुक्ति सुनिश्चित करें और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बोर्ड ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुपालन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की। माननीय न्यायालय का आदेश **अनुबंध-III** में दिया गया है।

कार्यसूची मद सं. 4: 2016 की डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 412 से उत्पन्न 2018 की उच्चतम न्यायालय मामले की अवमानना याचिका संख्या 1653 - श्री गौरव बंसल बनाम श्री दिनेश कुमार और अन्य।

i. 2016 में, मानसिक रोग ग्रस्त व्यक्ति, जो ठीक हो गए हैं लेकिन लंबे समय से विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में हैं, के पुनर्वास के लिए हस्तक्षेप की मांग करते हुए, उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई।

ii. माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, डीईपीडब्ल्यूडी ने 'मनोश्रय' शीर्षक से डैशबोर्ड विकसित किया है जो आरएच/एचएच पर संस्थानों की उपलब्धता, क्षमता और अधिभोग प्रदान की गई सुविधाएं, क्षेत्र-वार वितरण (राज्य-वार) को शामिल करते हुए आंकड़े लेता है। माननीय न्यायालय का आदेश **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

iii. यह डैशबोर्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के टेली-मानस के साथ जुड़ा हुआ है।

iv. यह मामला 19.01.2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की कि

क) मनोश्रव में भरे आंकड़ों में कोई विरोधाभास नहीं है।

ख) मनोश्रव में विवरण नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।

ग) एमएचआई/आरएच/एचएच की नियमित मॉनीटरिंग और निरीक्षण; तथा

घ) मानसिक रोग से सफलतापूर्वक उपचारित व्यक्ति लंबे समय से एमएचआई में नहीं हैं और आरएच / एचएच में पुनर्वास के लिए हैं।

कार्यसूची मद सं. 5: क्षेत्र विशिष्ट पहुंच मानकों की अधिसूचना सहित सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की स्थिति।

प्रस्तुति में मुख्य रूप से भवनों, परिवहन और वेबसाइट के सुगम्यता के संबंध में अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसके बाद क्षेत्र विशिष्ट सुगम्यता दिशानिर्देशों/मानकों के निर्माण की नवीनतम स्थिति के बारे में बताया गया।

I. **भवनों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:**

•21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 623 भवनों को सुगम्य बनाया गया है (अर्थात् 1341 वित्तपोषित भवनों का 47.5%)

• केंद्र सरकार के कुल 1100 भवनों को सुगम्य बनाया गया।

II. **परिवहन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:**

• सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 को सुगम्य बनाया गया है

• 1,45,747 बसों में से 42,348 (29.05%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं, और 8,695 (5.96%) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं। 3533 बस अड्डों में से 3120 को 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुगम्य बनाया गया है

• पूर्णतः सुगम्य रेलवे स्टेशन = 709 (ए1, ए और बी प्रकार के)

• आंशिक रूप से सुगम्य रेलवे स्टेशन = 50%

III. **वेबसाइटों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था :**

• केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कुल 767 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।

•19 समाचार चैनलों ने 2447 सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया है और सामान्य मनोरंजन श्रेणी (जीईसी) में 17 चैनलों ने 3686 सुगम्य अनुसूचित (शेड्यूल्ड) कार्यक्रमों/फिल्मों का प्रसारण किया है।

IV. 20 **मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देशों की स्थिति**

20 मंत्रालयों/विभागों में से 07 मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम 2023 के नियम 15 के तहत दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया है, इसके बाद 03 मंत्रालयों/विभागों ने अन्य मंत्रालयों/विभागों के दिशानिर्देशों

को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, 03 मंत्रालयों/विभागों के दिशा-निर्देश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्तर पर प्रारूप और अंतिम अधिसूचना चरण पर है जबकि शेष मंत्रालयों/विभागों के दिशा-निर्देश संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रतीक्षित।

बोर्ड ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की कि:

क) लंबित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें अथवा अप्रयुक्त राशि को केन्द्रीय नोडल खाते में वापस करने की प्रक्रिया आरंभ करें।

ख) समाज कल्याण विभागों के सभी प्रधान सचिवों को जारी पत्र के प्रत्युत्तर में ईआरएनईटी इंडिया द्वारा सुगम्य बनाए गए वेबसाइटों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें।

ग) पहुंच से बाहर के निर्मित वातावरण के लिए प्राप्त शिकायतों पर विचार करें और सुगम्य अवसंरचना प्रदान करने के संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनिवार्य प्रावधान पर विचार करते हुए इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

घ) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 45 (1) के अनुपालना में तत्काल कार्रवाई करें, जिसमें सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को सुगम्यता मानकों की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अर्थात् 14.06.2022 तक सुगम्य बनाए जाने हेतु अधिदेश दिया गया है।

ङ) संबंधित कार्यक्षेत्र में आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियम, 2023 के नियम 15 के तहत अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट सुगम्य दिशानिर्देशों को अपनाना और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

इसके अलावा, बोर्ड ने सभी 20 मंत्रालयों/विभागों से सिफारिश की कि

- मंत्रालयों/विभागों के संबंधित क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन लेखापरीक्षा सुनिश्चित करें, 100% सुगम्यता की मॉनीटरिंग समय पर करें और जमीनी स्तर पर पाई गई किसी भी विसंगति को रोकें।
- अपने क्षेत्र विशिष्ट सुगम्यता मानकों की अधिसूचना में तेजी लाएं ताकि इन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आरपीडब्ल्यूडी नियमों के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

- रेल और नागरिक विमानन मंत्रालय शेष रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाएं।

मद 6 : केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ यूडीआईडी को जोड़ने सहित यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

I. यूडीआईडी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, यह कहा गया कि यूडीआईडी परियोजना को 2016-17 से दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांगजन को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र कार्ड जारी करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

II. विभाग ने संबद्ध संगठनों सहित विभाग की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी कार्डों की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया।

III. अब तक 1.04 लाख से अधिक ई-यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 60 लाख यूडीआईडी कार्ड प्रमाणन के अंतर को पूरा करने का अनुरोध किया गया था।

बोर्ड ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की कि वे पूर्व में जारी किए गए दिव्यांगता के मैनुअल प्रमाण पत्र के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं और संतृप्ति प्राप्त करने के लिए अभियान मोड पर परियोजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर संयुक्त समन्वय तंत्र विकसित करें। इसके अतिरिक्त, उनकी योजनाओं को यूडीआईडी के साथ जोड़ें।

कार्यसूची मद सं. 7: विभाग की मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा

i. सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)

ii. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

iii. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

iv. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (सिपडा)

v. सिपडा योजना के तहत दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान

I. रिकॉर्ड-उच्च वार्षिक बजट पर प्रकाश डालते हुए, विभाग और एलिम्को दोनों ने महत्वपूर्ण बजट वृद्धि की सूचना दी। वर्तमान में, देश भर में 103 एलिम्को केंद्र कार्यरत हैं।

II. छात्रवृत्ति योजना, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जहां छात्रों को कथित रूप से छात्रवृत्तियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। विदेश में अध्ययन के लिए आवेदनों को प्रोत्साहित करने हेतु दिव्यांगजनों के बीच विदेशी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था।

III. डीडीआरएस के संबंध में राज्यों से इस वर्ष 650 करोड़ रुपये के आवंटित बजट को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया था। जिला स्तर पर कम से कम एक केंद्र स्थापित करने पर बल दिया गया। बोर्ड को विभाग के एक पत्र के बारे में सूचित किया गया जिसमें जिला अस्पतालों में एलिम्को के लिए जगह का अनुरोध किया गया था, जिसमें राज्य सहयोग और समन्वय की मांग की गई थी।

IV. अनुसंधान और विकास के लिए, राज्यों से एक अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया, जिसमें विभाग सहायता प्रदान करता है।

बोर्ड ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और पात्रता मानदंड के अनुसार सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की।

कार्यसूची मद सं. 8: विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों की समीक्षा

प्रस्तुति विभाग के तहत संचालित नौ राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) पर केंद्रित थी, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के साथ थी। इस बात पर प्रकाश

डाला गया कि वर्तमान में, कोई भी सीआरसी भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) से जुड़ा नहीं है। वर्तमान में, पूरे भारत में केवल 25 सीआरसी चालू हैं, जो अतिरिक्त सीआरसी स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

सीआरसी के विस्तार के महत्व को स्वीकार करते हुए, बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सीआरसी की स्थापना के लिए अपने क्षेत्रों के भीतर उपलब्ध भूमि या स्थान का योगदान करने की सिफारिश की, जिसमें ऐसे संसाधनों को नि:शुल्क प्रदान करने पर बल दिया गया। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य उभरती जरूरतों और मांगों को प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए अधिक संख्या में सीआरसी की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है, सीआरसी की स्थापना के लिए दिशानिर्देश **अनुबंध-V** में हैं।

मद सं. 9: दिव्यांगजनों के समावेश और सशक्तिकरण के लिए वार्षिक आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 'पर्पल फेस्ट' का आयोजन

पर्पल फेस्ट जनवरी के पहले सप्ताह में गोवा सरकार द्वारा आयोजित एक समावेशी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन करके, दिव्यांगजनों की क्षमता का प्रदर्शन करके और उनके समावेश के लिए आगे बढ़ने के द्वारा दिव्यांगजनों की समावेशी दुनिया को प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर ने भी 28-29 दिसंबर 2023 तक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी तरह, इस विभाग ने देश भर में 8 दिव्य कला शक्ति और 11 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया है।

बोर्ड ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्पल फेस्ट की तर्ज पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की सिफारिश की और यह सुनिश्चित किया कि दिव्यांगजनों को शामिल करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव हस्तक्षेप को गुणक प्रभाव के लिए अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पर्याप्त रूप से साझा किया जाए।

मद सं. 10: विभाग की नई पहल

I. विभाग की विभिन्न योजनाओं और डिविजनों में नई पहलों पर प्रकाश डाला गया जैसे;

क. एलिम्को का आधुनिकीकरण:

- सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के नए मॉडल शुरू किए गए
- आईआईटी और एनआईडी सहयोग
- बड़े पैमाने पर फुटप्रिंट विस्तार

ख. राष्ट्रीय न्यास:

- सभी योजनाओं/गतिविधियों के लिए कागज रहित प्रक्रिया
- निरामय योजना के लिए यूडीआईडी लिंक करना
- दिव्यांगजनों के लिए स्व-सहायता पर मेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग. नैशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन:

- उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए देशभर में दिव्य कला मेले का आयोजन
- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ सहयोग
- व्यवसाय के ऋण के बाद ट्रैकिंग के लिए पूर्ण डेटाबेस संकलन

घ. सुगम्य भारत अभियान:

- वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन – सार्वभौमिक सुगम्यता लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम।
- दिव्यांगजनों के लिए 75 तीर्थ स्थलों को सुगम्य बनाना।
- सार्वभौमिक पहुंच के लिए राज्य अधिकारी का प्रशिक्षण

क. पीएम-दक्ष – दिव्यांगजनों के लिए कौशल।

ख. सीसीपीडी के लिए ऑनलाइन मामले की निगरानी।

ग. दिव्यांगजनों के अधिकारों पर न्यायालय के आदेश के पहुंच हेतु मार्ग का प्रकाशन ।

घ. दिव्यांगजनों के यूडीआईडी डेटा एकत्रित करना।

ङ. 10,500 शब्दों का चौथा आईएसएल शब्दकोश लॉन्च किया गया।

च. एनआईएमएचआर और सीआरसी गोरखपुर में स्वीकृत स्वीकृत 2 नए सीडीईआईसी ।

छ. जम्मू, छतरपुर, मदुरै और जयपुर में 4 नए सीआरसी की मंजूरी।

ज. एनआईईपीआईडी द्वारा विकसित तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्य इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस राष्ट्र को समर्पित है और परीक्षण आधार पर यूडीआईडी कार्ड बनाए गए।

झ. सभी एनआई और सीआरसी में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और नैदानिक सेवाएं नि:शुल्क दी गईं।

II. सीएबी से पहलों पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया था तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पहलों का दृश्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

कार्यसूची मद सं. 11: **आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियम**, 2019 **के संदर्भ में ऐसी जरूरतों वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को उच्च सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित करना**

प्रस्तुति में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया जो इस प्रकार है:

I. सरकार ने 08.03.2019 को आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियम, 2019 अधिसूचित किया, जिसमें अध्याय Vक जोड़ा गया है जो बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से संबंधित है जिन्हें उच्च समर्थन की आवश्यकता है।

II. इन नियमों के नियम 14क (9) में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे व्यक्तियों को उच्च सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित करने का प्रावधान है।

III. अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई योजना/कार्यक्रम तैयार नहीं किया है जिन्हें उच्च सहायता की आवश्यकता हो।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे व्यक्तियों को उच्च सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित करने का आग्रह किया।

कार्यसूची मद सं.12: आधार कार्ड के लिए 'बायोमेट्रिक अपवाद' प्रावधान का उपयोग, विशेष रूप से फिंगरप्रिंट प्रदान करने में असमर्थ दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करना।

इस कार्यसूची के तहत निम्नलिखित बिंदु हैं जिन पर प्रकाश डाला गया था;

i. संसदीय स्थायी समिति ने अप्रैल 2023 की अपनी 45वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विशेष प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के विषय में उल्लेख किया है, जिसके कारण वे अपनी उंगलियों के निशान प्रदान करने और आधार कार्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

ii. समिति को सूचित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक अपवाद का प्रावधान है।

iii. समिति चाहती थी कि इस मुद्दे को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

iv. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जून 2023 के पत्र के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से कार्यान्वयन प्राधिकरणों के बीच बायोमेट्रिक अपवाद के प्रावधान के बारे में जागरूकता सृजन करने का अनुरोध किया ताकि उक्त प्रावधान का लाभ संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके।

बोर्ड ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर ध्यान दिया और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने का भी आग्रह किया।

10. बैठक का समापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव, श्री राजेश यादव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

.....

अनुबंध I

प्रतिभागियों की सूची

1. **डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री (एसजेई), अध्यक्ष**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मंत्री

2. डॉ. एम. मैथिवेंथन, माननीय मंत्री, तमिलनाडु सरकार

3. श्री नरेंद्र कश्यप, माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

4. श्री सुभाष फल देसाई, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री, गोवा सरकार

केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/संगठन

5. श्री. पार्थ कंसाबानिक, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

6. श्री दिव्यांश शुक्ला, उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

7. श्री वीरेंद्र प्रसाद, उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली

8. श्री संदीप सक्सेना, उप सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), नई दिल्ली

9. श्री मोती राम, सहायक आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली

10. श्री सुशील कुमार कालरा, निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार।

11. श्री राकेश कुमार, उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

12. **श्री जी.एस चौहान, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।**

13. **सुश्री अर्चना रस्तोगी, यंग प्रोफेशनल, नीति आयोग, नई दिल्ली**

14. डॉ. मुनिराजू एस.बी., उप सलाहकार, नीति आयोग

15. श्री आर. ए. मीणा, महाप्रबंधक (एचआर), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

16. सुश्री मीताली बहल, एसएम (एचआर), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

17. श्री नवदीप, एएम (एचआर), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

18. श्री ई रॉबर्ट सिंह, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

19. प्रोफेसर एससी चौहान, प्रोफेसर और अध्यक्ष, एनसीईआरटी

20. विनय सिंह, प्रोफेसर, एनसीईआरटी

21. श्री परेश गोयल, निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली

22. डॉ. शिखा आनंद, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

23. श्री नवीन मलिक, अवर सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

24. श्री नवेन्द्र सिंह, निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

25. श्री आर.के. सिन्हा, वरिष्ठ वास्तुकार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), निर्माण भवन, नई दिल्ली

26. श्री बी.एस. खोला, अनुभाग अधिकारी, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

27. डॉ. श्रीमती अनीता अग्रवाल, अध्यक्ष (एसईईडी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

28. श्री यू.के. तिवारी, निदेशक, रेल मंत्रालय, भारत सरकार।

29. श्री एम.के.मीणा, संयुक्त निदेशक, रेल मंत्रालय, भारत सरकार।

30. श्री विवेक पांडेय, अनुभाग अधिकारी, रेल मंत्रालय, भारत सरकार

31. श्री श्रीनिवास मल्लाडी, निदेशक, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

32. डॉ. अरुणांग्शु सरकार, कार्यकारी निदेशक, स्वास्थ्य (सामान्य), रेल मंत्रालय, भारत सरकार

33. श्री सुमित सिंह, डीटीसी/जी, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

34. श्री आशीष सोढ़ी, सहायक अनुभाग अधिकारी, रेल मंत्रालय, भारत सरकार

35. श्रीमती ए. श्रीजा, आर्थिक सलाहकार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

36. श्रीमती जयश्री मुरलीधरन, सचिव, दिव्यांगजन कल्याण निदेशालय, तमिलनाडु सरकार

37. श्री राकेश कुमार, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

38. डॉ. पालिका अरोड़ा, पीसीएस, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ सरकार

39. श्री शाम रावत, वरिष्ठ सहायक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ सरकार

40. श्री व्योमेश भरत, राज्य समन्वयक, यूडीआईडी, डीएनएच और डीडी, संघ राज्य क्षेत्र सरकार

41. श्री मनोज कुमार पांडेय, निदेशक-सह-उप सचिव (समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास), डीएनएच और डीडी संघ राज्य क्षेत्र सरकार

42. डॉ. सुमन बाली, उप निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पंजाब सरकार

43. श्रीमती अलका यादव, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार

44. श्री पी. एन. प्रधान, सहायक आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिक्किम सरकार

45. श्रीमती किरणबाला साहू, विशेष शिक्षक, सक्षम, ओडिशा सरकार

46. श्री एम. वी. चंद्रकांत, निदेशक, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सशक्तिकरण विभाग, कर्नाटक सरकार

47. श्री एम. रमेश, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सशक्तिकरण विभाग, कर्नाटक सरकार

48. श्री संदीप कुमार, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।

49. सुश्री पद्मा आंगमो, आयुक्त/सचिव, समाज कल्याण विभाग, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सरकार

50. श्री यू.एस.शाह, सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सरकार

51. श्री राजेंद्र, सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, तेलंगाना संघ राज्य क्षेत्र सरकार

52. सुश्री राजलखी देवड़ा, उप निदेशक सह प्रधानाचार्य, असम सरकार

53. सुश्री रचना शर्मा, सचिव, समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

54. श्री पंकज वर्मा, अपर निदेशक, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार

55. श्री नचिकी, जिला समाज कल्याण कार्यालय, झारखंड सरकार।

56. श्रीमती एस. घोष, प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण, पश्चिम बंगाल सरकार

57. श्री ए अब्दुल अजीज, वरिष्ठ अन्वेषक, समाज कल्याण विभाग, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र सरकार।

58. श्री चेतन कुमार मीणा, अवर आवासीय आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार

59. श्री कौशल किशोर, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

60. श्रीमती ब्रिगेट वारशोंग, दिव्यांगजन उपायुक्त, मेघालय सरकार

61. श्री दीपक राउतनार, अपर सचिव, दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण विभाग, ओडिशा सरकार

62. श्री वरिंदर सिंह, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ), पंजाब सरकार।

63. डॉ. रचना भारद्वाज, अधीक्षक समाज कल्याण विभाग, दिल्ली

64. श्री श्रीकांत आव्हाड, महाराष्ट्र सरकार

65. श्री प्रवीण पुरी, महाराष्ट्र सरकार

66. सुश्री कामाक्षी एस, सदस्य, तमिलनाडु सरकार

67. श्री जलाजा, एस., सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार

मनोनीत सदस्य

68. श्री कमला कांत पांडेय, उत्तर प्रदेश

69. डॉ. आसा गोपालकृष्णन, केरल

70. श्री पी.डी.पुरोहित, गुजरात

71. डॉ. उदय प्रकाश वारुंजीकर, महाराष्ट्र

72. डॉ. सुषमा गौडियाल, उत्तर प्रदेश

73. डॉ. दयाल सिंह पवार, नई दिल्ली

74. श्री उमेश नारायण अंधारे, महाराष्ट्र

75. श्री अजीत सिंह महावीरसिंह शेखावत, गुजरात

76. श्री सुरेश मनोहर पाटिल, महाराष्ट्र

77. श्री एस. गोविंद राज, तमिलनाडु

78. श्री जयसिंह कृष्णरावजी चव्हाण, महाराष्ट्र

79. श्री कुमार पाल मेहता, नई दिल्ली

80. डॉ. ए एम, वाचासुंदर, महाराष्ट्र

81. डॉ. सुषमा गोडियाल, उत्तर प्रदेश

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी

82. श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

83. श्री राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

84. श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

85. श्री किशोर बाबूराव सुरवाड़े, उप महानिदेशक

86. डॉ. होन्नारेड्डी एन, निदेशक

87. श्री निठाली राम, उप सचिव

88. श्री सुनील कुमार महतो, उप सचिव

89. सुश्री इप्सिता मित्रा, उप सचिव

90. श्री सुरेश चंद टम्टा, उप सचिव

91. सुश्री अनीता मीणा, अवर सचिव

92. श्री संदीप कुमार, अवर सचिव

93. श्री अनुपम शुक्ला, अवर सचिव

94. श्री राम चरण मीणा, अवर सचिव

95. श्री जसबीर सिंह, अवर सचिव

96. श्री हेम चन्द्र झा, अवर सचिव

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थान और स्वायत्त संगठन

97. श्री प्रवीण प्रकाश अंबष्टा, दिव्यांगजन उप मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय

98. श्री विकास त्रिवेदी, दिव्यांगजन उप मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय

99. डॉ. शरणजीत कौर, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद

100. श्री नवीन कुमार शाह, मुख्य प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली

101. डॉ. पतितपाबन मोहंती, निदेशक, एसवीनिरतार, कटक

102. श्री नचिकेता राउत, निदेशक, एनआईईपीएमडी, चेन्नई

103. श्री ललित नारायण, निदेशक, एनआईएलडी, कोलकाता

104. डॉ. राजू आरख, निदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई।

105. श्री मनीष वर्मा, निदेशक (कार्यवाहक), एनआईईपीवीडी, देहरादून

106. श्री बी.वी.राम कुमार, निदेशक (कार्यवाहक), एनआईपीईआईडी, सिकंदराबाद।

107. श्री संजय शंकर, उप निदेशक, आईएसएलआरटीसी, दिल्ली

108. श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, उप निदेशक, पीडीयूएनआईपीपीडी, दिल्ली

109. श्री राजेश सचदेवा, उप निदेशक, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली।

110. श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली।

111. श्री हरीश सोनी, सहायक प्रोफेसर-सांकेतिक भाषाविज्ञान (बधिर अध्ययन), आईएसएलआरटीसी, दिल्ली

112. श्री अजय चौधरी, महाप्रबंधक (विपणन), एलिम्को, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

113. श्री राजेश दास, अधिकारी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स अधिकारी, एलिम्को, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

114. सुश्री प्रियंका सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक - प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स अधिकारी, एलिम्को, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

.....